राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 **web**- www.lsgraj.org E-mail ID_ **dlbrajasthan@gmail.com**

कमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/16/29505 – 29930 दिनांकः 04/11/16

जिला कलेक्टर
(समस्त)

विषय :– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) प्रथम चरण के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है। इस दिशा में अभियान के प्रथम चरण के अन्तर्गत चयनित 66 शहरों में अभियान के त्वरित कियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के अन्तर्गत रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स (RTRWHS) के कार्य हेतु एजेन्सी जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। RTRWHS के कार्य हेतु एजेन्सी निर्धारण करते समय स्थानीय आवश्यक्तानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा भू–जल विभाग को प्राथमिकता दी जा सकती हैं।
2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के अन्तर्गत जल संरचनाओं (बावडी, तालाब आदि) के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित स्थानीय नगरीय निकाय/पेरास्टेटल क्रियान्वयन एजेन्सी हो सकती है।
3. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं सिटी फॉरेस्ट डवलपमेन्ट कार्य हेतु वन विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी होगी।
4. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) हेतु आई.ई.सी गतिविधियां, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत आई.ई.सी गतिविधियों के साथ ही सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) हेतु जिला कलेक्टर सभी प्रस्तावित कार्यो (डीपीआर)के अनुमोदन से सम्बन्धित कार्यवाही (Approve & Forward/ Return/ Reject) अपनी एस.एस.ओ आईडी से कर सकेंगे। एक बार राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण पश्चात् समस्त कार्य जिला स्तर पर किये जायेगे।.

कृ प उ

6. राज्य स्तर पर डी.पी.आरस् के पुनरीक्षण (vetting) पश्चात्, जिला कलेक्टर जिला स्तर पर निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रशासनिक/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी कर सकेंगे। NIT जारी कर अनुमोदित करेंगे। समस्त कार्य 31.05.2017 से पूर्व पूर्ण किये जावें।

7. तत्पश्चात अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित कर दिनांक 30.11.2016 तक कार्यादेश जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीईं/डीएलबी/एमजेएसए/16/ 29505-29530 दिनांकः 4/11/16 04/11/16

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. विशेषाधिकारी (जी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
8. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
9. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
10. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री राजस्व मंत्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
11. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
12. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
14. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
15. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
16. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. विशिष्ठ सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
18. विशिष्ठ सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण जयपुर।
19. निजी सचिव, माननीय सांसद राजस्थान (समस्त)
20. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा (समस्त)
21. वरिष्ठ उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर
22. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
23. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
25. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी तथा संस्कृत शिक्षा विभाग
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग

27. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि उद्यान एवं पशुपालन विभाग
28. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
29. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि. एवं भू–जल विभाग
30. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
31. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग
32. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
33. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
34. प्रभारी सचिव (समस्त जिले)
35. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
36. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान
37. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गौ पालन विभाग
38. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
39. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग
40. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग
41. निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग
42. संभागीय आयुक्त (समस्त)
43. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर
44. निदेशक, सूचनाएवं जन सम्पर्क विभाग
45. निदेशक, सांख्यिकी विभाग, जयपुर
46. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त) स्वायत्त शासन विभाग
47. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद्/पालिका (66 शहर)
48. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
49. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय
50. गार्ड फाईल

5/11

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव